महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः- 198/एक-11-2020-रा0-11

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ दिनांकः 24 मार्च, 2020

विषयः-विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी बवअपक-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है।

2. ऐसे दैनिक वेतन भोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया।

3. मंत्री समिति की संस्तुतियों तथा तत्क्रम में अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-बी-2-67/दस-2020-एम-01/2020 दिनांक 21.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित मजदूरों आदि के भरण-पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। समिति की संस्तुतियों मे से क्रमांक 2 से 7 पर अंकित प्राविधान व उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

संस्तुति क्रमांक-2- प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम विभाग उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से 5.97 लाख श्रमिकों जिनके, बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं, के खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित करेंगे। अवशेष श्रमिकों के बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाये। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund' से किया जायेगा। इस संबंध में कार्यवाही श्रम विभाग के सुसंगत शासनादेश के अनुसार की जायेगी ।

संस्तुति क्रमांक-3- शहर में घुमन्तू प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है, का बैंक खाता विवरण सहित डेटाबेस नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाय। ऐसे सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाये। शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड इनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं डी.एस.ओ. के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय। इस संबंध में नगर विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा समस्त जिलाधिकारी द्वारा नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या -698/नौ-9-2020-58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी (छायाप्रति संलग्न)।

संस्तुति क्रमांक-4- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान, माल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः सभी बन्द शैक्षिक संस्थान, माल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल, दुकान आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाये कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी अवधि में 'Paid Leave' प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में कार्यवाही श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-03-2020-30 (सा0)/2020 दिनांक 20 मार्च 2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार की जायेगी (छायाप्रति संलग्न)।

संस्तुति क्रमांक-5- मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में किये जा चुके कार्य के सन्दर्भ में भारत सरकार से लगभग 556 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त न होने के कारण मनरेगा जाब कार्ड धारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर जाब कार्ड धारकों को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2020 में कराया जाये। इस संबंध में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा की जायेगी ।

संस्तुति क्रमांक-6- प्रदेश के लगभग 1.65 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों (अन्त्योदय योजना, मनरेगा, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर) को एक माह का निःशुल्क राशन माह अप्रैल में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूर्ण कर ली जायें। भविष्य में स्थिति का आंकलन करने के उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में समस्त जिलाधिकारी/नगर आयुक्तों द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संस्तुति क्रमांक-7- प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन तथा निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जाये। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. क्रमांक 2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। इस संबंध में-

- ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 425/38-7-2020 दिनांक 23.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

- शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या -698/नौ-9-2020-58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाये गये सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5. पत्र के प्रस्तर-3 में उल्लिखित संस्तुति क्रमांक 3 से 7 तक दी जाने वाली सहायता राशि की मांग संबंधित विभागों द्वारा जनपदों से प्राप्त एवं संकलित कर अपनी स्पष्ट संस्तुति करते हुए राजस्व विभाग से की जायेगी। राजस्व विभाग द्वारा वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उक्त धनराशि संबंधित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी। संस्तुति क्रमांक 2 के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund' से किया जायेगा।

6. पत्र के प्रस्तर-4 में उल्लिखित व्यक्तियों (संस्तुति क्रमांक 2 से 7 के अनुसार सहायता देने के बाद भी बचे ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने परिवार की भरण-पोषण की सुविधा नहीं है) को दी जाने वाली सहायता राशि हेतु राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है जिसे जिलाधिकारियों द्वारा इस श्रेणी के व्यक्तियों को तत्काल रूप से सहायता प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। इस संबंध में जिलाधिकारी समस्त सूचना संकलित कर ग्राम्य विकास विभाग अथवा नगर विकास विभाग (जैसा कि लागू हो) के माध्यम से राजस्व विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. कृपया संबंधित समस्त विभाग एवं जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन जरूरतमंद व्यक्तियों के संबंध में एकत्र की गई सूचनाएं सत्यापित हो एवं उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग/जिलाधिकारी की होगी। इस संबंध में विभागों से संबंधित अनुश्रवण का कार्य संबंधित विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31.03.2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।